न्यायालय अति. जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव
आर.ए.एस

प्रार्थना–पत्र संख्या :–

सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी विराटनगर तहत् उपवन संरक्षक जयपुर (उत्तर) जिला जयपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. बालू पुत्र पेमा रैगर (मृत्क)
   1/1 कजोड पुत्र रूपाराम
   1/2 ब्रहमदत्त पुत्र मालीराम
   1/3 गंगा देवी पुत्री कानाराम
   1/4 भगवती पुत्री गोपीचन्द
   1/5 यशोदा पुत्री गोपीचन्द
   1/6 कमला पुत्री गोपीचन्द
   1/7 विद्या देवी पुत्री नेतराम
   1/8 यशपाल पुत्र नेतराम
   1/9 ललित पुत्र नेतराम
   1/10 लता उर्फ हर्षिता पुत्री नेतराम
   1/11 गीता पुत्री नेतराम जाति रैगर निवासी भैरूपुरा तहसील विराटनगर (जयपुर)
2. राजस्थान सरकार जरिये तसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 अथवा 232 एल.ए एक्ट बाबत इन्द्राज दुरूस्ती।

निर्णय दिनांक 30.4.19

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित रैफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 अथवा 232 एल.आर एक्ट के तहत् दुरूस्ती हेतु प्रार्थी क्षेत्रीय वन अधिकारी विराटनगर की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री रविशंकर अग्रवाल न्यायालय हाजा को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम नवरंगपुरा तहसील विराटनगर स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 1233/1 रकबा 1554 बीघा 7 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 23/0.17, 71/0.21 कुल किता 2 रकबा 0.38 वर्तमान में स्थित नवीन ग्राम भैरूपुरा में अपीलार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जबकि उक्त साबिक खसरा नम्बर 1233/1 रकबा 1554 बीघा 7 बिस्वा भूमि राजस्थान सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं. 7/100 (रा.के.6) दिनांक 10/5/61 के अन्तर्गत राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 2 की उप धारा (1) प्रदत शक्तियां के प्रयोग में आरक्षित वन खण्ड के रूप में घोषित की गयी थी। वन अधिनियम एव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 की उपधारा (10) के अन्तर्गत सरकारी वन के सीमा बंधी के भीतर स्थित भूमि में किसी भी दीगर व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई खातेदारी अधिकार कानूनन प्रदान नही किये जा सकते यह भूमि जमवारामगढ बांध के बहाव क्षेत्र में अवस्थित है। उक्त वर्णित साबिक आराजी खसरा नम्बर 1233/1 के रकबे में से रकबा 4 बीघा भूमि का दिनांक 23/8/78 को आवटन कर अप्रार्थी बालू पुत्र पेमा रैगर निवासी भैरूजुगी को पट्टा जारी कर दिया जिसके नाम गैर खातेदारी एवं खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गयी। इसलिए अप्रार्थी के नाम

दर्ज की गयी खातेदारी भी विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उक्त आराजीयात् की खातेदारी अप्रार्थी के नाम से निरस्त की जाकर प्रार्थी वन विभाग के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावें।

2. प्रकरण प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी की सुनवायी के लिए नोटिस जारी करवाये गये तामील कुनिन्दा ने अप्रार्थी बालू का फौत होना बताया। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 01 के फोत होने पर उसके वारिसान् एवं कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लिया जाकर वास्ते सुनवायी जरिये सम्मन उनकी तलबी करवायी गयी, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1/2 बहमदत उपस्थित आया इसके अलावा बावजूद सूचना शेष वारिसान् उपस्थित नहीं आये । इसलिए उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रार्थी को अलाटमैन्ट सम्बन्धी रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत देने पर उनकी ओर से तहसील कार्यालय में अलाटमैन्ट रिकॉर्ड जीर्ण–क्षीर्ण (अलाटमेन्ट रजिस्टर पट्टा) होने के कारण नकले नहीं मिलने की सूचना दी गयी । पैरोकार सरकार की ओर से विवादित आराजीयात् की मौका रिपोर्ट व जवाब रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

3. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार विराटनगर) द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब में रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों का सही होना स्वीकार करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 01/9/2016 को इंगित करते हुए आराजी विवादास्पद को वन भूमि सिद्व होना स्वीकार की।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रस्तुत रिकॉर्ड शाहदत को इंगित करते हुए निवेदन किया कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 इस प्रकार उल्लेखित करती है कि " वनों के आरक्षण या वन भूमि के बनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग पर निर्बन्धन किसी राज्य में तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के किसी बात के होते हुए भी कोई राज सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निर्देश करने वाला कोई आदेश केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं देगा । " वन भूमि में इस प्रावधानों के अन्तर्गत आरक्षित वन सुरक्षित वन या सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में प्रविष्ट किया गया क्षेत्र सम्मलित है, जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के तहत् अधि. सूचित वन भूमि भी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की परिधी में आती है। उक्त प्रावधानों के अनुसार वन खण्ड के रूप में आरक्षित व सुरक्षित रखी गयी भूमियां गैर वन क्षेत्र के उपयोग में लाये जाने के लिए सभी सभी प्रावधानों व मामलों के लिए केन्द्रीय सरकार की अग्रिम सहमति लेनी आवश्यक होगी। इसके अभाव में वन भूमि को गैर वन भूमि के उपयोग में नहीं लायी जा सकती है। इस प्रकार यह प्रावधान भी वन भूमि को गैर वन भूमि के प्रयोग में लाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाता है। इससे अन्य को कानूनन खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। इसके अलावा जब एक बार राज्य सरकार द्वारा भूमि को वन खण्ड के रूप में आरक्षित कर दिया गया तो अब उसको गैर वन भूमि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता एवं ना ही ऐसी भूमि किसी को आवंटन योग्य है एव ना ही उक्त भूमि की किसी व्यक्ति को खातेदारी प्रदान की जा सकती। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत इसकी बाध्यता है। यदि अप्रार्थीगण/उनके पूर्वजों को उक्त साबिक आराजी ख.नं. 1233/1 में से कोई भूमि आवंटित की गयी है तो वह भी गलत है। क्योकि आवंटन से पूर्व ही उक्त आराजीयात् दिनांक 10/5/1961 के द्वारा वन खण्ड के रूप में रिजर्व की जा चुकी है। इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की 16 में उल्लेखित भूमि इन नियमों के अधीन आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होती है तथा राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 28 के अधीन गठित ग्राम वनों के लिए आरक्षित भूमियां तथा भूमि आवंटन के किन्ही विशेष नियमों के अधिन आवंटन हेतु आरक्षित भूमियां भी नियम 4 के अनुसार आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होती है। उक्त प्रश्नगत भूमि वन खण्ड की भूमि के साथ अवस्थित है तथा वन खण्ड के रूप में ही उपयोग में लायी जा

रही है। उक्त आराजीयात् पर काश्त नहीं हो रही है तथा ना ही अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन सम्बन्धी प्रावधानों की पालना भी नहीं की गयी है। अतः रेफरेन्स मंजूर फरमाया जावें। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2012(1) पेज 191 ए, 1997 एस. सी पेज 1228, आर.एल.डब्ल्यू 2007 (1) आर.जे पेज 307 राजस्थान वन अधिनियम की धारा 3 व धारा 29 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(10) की ओर हमारा ध्यान आकृर्षित किया।

5. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार विराटनगर) ने भी अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि वन क्षेत्र के लिए आरक्षित घोषित की जाने की विज्ञप्ती दिनांक 10/5/1961 का आदेश सहवन से कार्यालय में प्राप्त नहीं होने की वजह से उक्त आराजीयात् अप्रार्थी व अन्य को अलाट कर दी गयी तथा कालान्तर में उक्त अलाटमेन्ट आदेश की पालना में खातेदारी प्रदान कर दी गयी। मौके पर उक्त भूमि में कोई काश्त नहीं की जाना तथा जंगली पेड उगे हुए होने से उक्त भूमि वन भूमि होना प्रकट होती है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

6. हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत रिकॉर्ड शाहदत का भली भांति अवलोकन कर मनन किया तो पाया कि विवादित साबिक आराजी खसरा नम्बर 1233/1 रकबा 1554 बीघा 7 बिस्वा भूमि वाके मौजा नोरंगपुरा से नवसृजित ग्राम भैरूपुरा तहसील विराटनगर राजस्थान सरकार द्वारा विज्ञप्ती संख्या एफ 7(100) आर.के 61 दिनांक 10/5/1961 के अन्तर्गत राजस्थान वन अधिनियम 1939 की धारा 20 द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग में दिनांक 01/7/1961 से प्रभाव रखते हुए आरक्षित वन क्षेत्र घोषित की गयी थी, परन्तु तत्समय वन विभाग के सम्बन्धित कार्मिक एवं अधिकारी उक्त आदेश के प्रति क्षीण मात्र भी सजग नहीं रहे बल्कि उनकी अकर्मण्यता एवं उदासीनता से वन विभाग के लिए आरक्षित की गयी उक्त भूमि के आदेश तहसीलदार विराटनगर के समक्ष प्रस्तुत करके ना तो राजस्व रिकॉर्ड में इसका अमल कराया गया तथा ना ही मौके पर भौतिक रूप से काबिज होने की कार्यवाही सुनिश्चित् की गयी। इस कारण उक्त आराजीयात् की किस्म राजसव रिकॉर्ड में बदस्तूर सिवायचक रहने पर उक्त आराजीयात् में से 4 बीघा अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगायत 1/11 के ताऊ (लाओलाद फौत) बालू पुत्र पेमा रैगर निवासी रूपपुरा के नाम अलाटमेन्ट की जाकर आवंटन कर दी ओर पटवारी हल्का ने अलाटी के नाम गैर खातेदारी का दिनांक 04/6/1970 को नामान्तरकरण संख्या 234 दर्ज कर करीब 15 माह 20 दिवस पश्चात् अलाटी का मौके पर कब्जा होना सुनिश्चित कराते हुए सक्षम न्यायालय तहसीलदारी विराटनगर के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत नवरंगपुरा के समक्ष प्रस्तुत कर अवैध रूप से दिनांक 24/9/1971 को स्वीकार करवा दिया गया, जबकि भूमि आवंटन या किसी न्यायालय के आदेश की अनुपालना में नामान्तकरण को तैय करने की अधिकारिता तहसीलदार में निहित है यानि यदि पंचायत क्षेत्राधिकार का नामान्तरकरण तहसीलदार स्वतः तैय करता है तो तहसीलदार का आदेश अवैध होगा (1977 आर.आर.डी 775) इसी प्रकार यदि पंचायत राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 व 16 से सम्बन्धित नामान्तरकरण की कार्यवाही करती है तो वह कार्यवाही अवैध होगी (1969 आर.आरडी. 86, 1972 आर.आर.डी 334, 1974 आर.आर.डी. 628 व 1976 आर.आरडी. 65) इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण क्षेत्राधिकार विहिन होने से शुरू से ही अवैध होने के बावजूद भी राजस्व कार्मिकों/अधिकारियों द्वारा इसकी अनदेखी करते हुए बिना कोई जॉच पडताल किये अलाटी व उसके वारिसान् के नाम राजस्व अभिलेख मे गैर खातेदारी एवं खातेदारी दर्ज कर दी ओर वन विभाग के सम्बन्धित कार्मिक एवं अधिकारियों ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब उक्त रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र 06/02/2013 को लगभग 48 वर्ष पश्चात् पेश किया है यद्यपि विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी प्रस्तुत नही किया है तथा उक्त आराजीयात् के जमवारामगढ बांध के बहाव क्षेत्र में अवस्थित होने के अपने कथनों की पुष्टि में कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड व शाहदत भी पेश नहीं की गयी है तथा ना ही यह स्पष्ट किया गया कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन की किन –किन शर्तों की पालना नही

की गयी है। दुसरी ओर आराजी विवादास्पद भूमिहीन अनुजाति के सदस्यों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की जाकर इसकी गैर खातेदारी एवं तत्पश्चात् खातेदारी भी उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड लगभग 47 वर्ष पूर्व 1971 में ही दर्ज की जा चुकी है, जो बदस्तूर आज भी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है ओर अनुसूचित जाति के सदस्य की खातेदारी की भूमि भी राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के अन्तर्गत हस्तानान्तरणीय है। तथापि उक्त विवादित आराजीयात् अप्रार्थीगण था। उसके पूर्ववों के नाम आवंटित होने तथा उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज होने से पूर्व ही सन् 1961 में ही वन खण्ड के लिए आरक्षित की जा चुकी थी, भले ही उक्त आदेश की क्रियान्विति की जाने में विभागीय अधिकारियों की घोर लापरवाही एवं उपेक्षा बरती जाना ही रही हो वन अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी भूमियों के आवंटन/नियमन एवं किसी दीगर व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकार प्रदान की जाने की बाध्यता है। मौके की रिपोर्ट से भी उक्त विवादित भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाने तथा उसमें जंगली पेड उगे होने से वन खण्ड की भूमि होने की ताईद की है। चूँकि तहसीलदार विराटनगर द्वारा उक्त आवंटन सम्बन्धी रिकॉर्ड जीर्ण शीर्ण होने से अलाटमेन्ट आदेश की नकले प्रदान की जाने में असमर्थता व्यवक्त की है, किन्तु नामान्तरकरण एवं राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी के नाम भू–आवंटन आदेश के तहत् खातेदारी दर्ज होना प्रकट होती है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप अप्रार्थीगण के नाम साबिक आराजी खसरा नम्बर 1233/1 के मिन नम्बर से बरामद हुए हाल आराजी ख.नं. 23/0.17, 71/0.21 कुल किता 2 रकबा 0.38 वाके मौजा नोरंगपुरा से नवसृजित ग्राम भैरूपुरा तहसील विराटनगर के राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी के नाम अवैध रूप से दर्ज की गयी खातेदारी गैर कानूनी एवं विधि सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त की जाकर वन खण्ड क्षेत्र वन विभाग राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करवाने के लिए क्षेत्रीय वन अधिकारी विराटनगर को आदेश प्रदान किये जाते है कि समय–समय पर राजस्व रिकॉर्ड में हुए समस्त परिवर्तनों एवं आदेश की तीन–तीन प्रमाणित प्रतियों के साथ नियमानुसार रेफरेन्स तैयार कर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर इस न्यायालय को 15 दिवस में पालना से अवगत करावें।

8. निर्णय आदिनांक 30.4.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)